[Mr. Deputy Speaker]

'Pan' goes to Pakistan from India, we should not object.

SARI GAULAM NABI AZAD (Washim) : Housing Department may not appreciate it.

श्री जैनुल बशर : हमारे यहां से वहां पान की स्मगलिंग हो सकती है । हमारे यहां और भी बहुत-सी दूसरी चीजें जो पाकिस्तान में पसन्द की जाती हैं। हमारे यहां की बनारसी साड़ियां पाकिस्तान की महिलाएं बहुत पसंद करती हैं और वे उन्हें पहनना चाहती है। इस तरह से ऐसी चीजों के व्यापार की तरफ हमारी सरकार को ध्यान देना चाहिए ताकि ये चीजें गलत तरीके से इधर-उधर न जाएं बल्कि सही तरीके से इधर-उधर आएं जाएं । सही तरीके से उनका आना जाना शुरू होना चाहिए । पाकिस्तान की ताजा स्थिति को देखते हुए और पिछले तजुरबों को देखते हुए सरहदों पर कौन सी कार्यवाही करने जा रहे हैं । चौकियों के बारे में बताया है कि चौकियां बढ़ा रहे हैं, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा । आने वाले खतरे को देखते हुए आप कौन सी कार्यवाही करने जा रहे हैं जिससे पाकिस्तान के चाहने के बावजूद ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : उपाध्यक्ष महोदय, जिन चौकियों का जिक्र किया गया है वे घुसपैठियों को रोकने के लिए हैं । पाकिस्तान की अंदरूनी स्थिति का ताल्लुक है, उससे उत्पन्न किसी भी स्थिति का मुकाबला करने के लिए केवल चौकियां पर्याप्त नहीं हैं बल्कि हमारा सैनिक संगठन भी उनका जवाब देने के लिए तैयार है । इस बारे में अधिकृत रूप से तो रक्षा मंत्री जी ही बता सकते हैं, लेकिन आप जानकारी के आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि हम कोई सोए हुए नहीं हैं कि पाकिस्तान कोई शरारतपूर्ण कार्यवाही हिन्दुस्तान के खिलाफ करेगा और हम गफलत में पकड़े जाएंगे और हमारा कोई नुकसान हो जाएगा ।

जहां तक कश्मीर में 15 अगस्त को कश्मीर में पाकिस्तानी झण्डा फहराया जाने का सवाल है, यह घुसपैठियों का काम नहीं है । कश्मीर में ही कुछ ऐसे तत्व हैं जो भारतवर्ष के खिलाफ कार्यवाही करते हैं । उनमें से ही कुछ लोगों द्वारा यह कार्यवाही की गई है । इसके लिए हमने राज्य सरकार से जानकारी ली है और उनसे कहा है कि इस प्रकार के जो तत्व हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए । उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए ।

बार्डर पर जो लोग रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि वे एक दूसरे के रिस्तेदार है । इसलिए प्रतिवर्ष लगभग दो-ढाई लाख आदमी आते जाते हैं । उनको आसानी से वीसा प्रदान किया जाता है । लेकिन इस तरह की छूट बार्डर पर रहने वालों के लिए दी जाए कि वे इधर से उधर या उधर से इधर आ जा सकें, यह हमारी सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक होगा और संभवत: पाकिस्तान सरकार भी इसको मंजूर नहीं करेगी ।

14.58 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now, we go to next item-Matters under Rule 377.

(i) Decline In Procurement Of Iron ore From Non-Captive Mines Of Orissa.

SHRI ARJUN SETHI (Bhadrak) : Sir, the steel plants used to procure 1.72

lakh tonnes of iron ore from the non-captive mines of Orissa every month. The procurement has come down to 0.60 lakh tonnes per month during April-June, 1983. As a result, a large number of workers face retrenchment, This situation has been further aggravated with a progressive reduction in export by the M.M.T.C. of India Ltd. From a total quantity of about 2 million tonnes procured by them from different non-captive mines in the State for export, procurement has come down to about 8 lakh tonnes during 1982-83.

A large number of poor Adivasi workers earn their livelihood by working in these mines. The Government is committed to improve the lot of the poor people and to create additional employment opportunities for them.

The Ministry of Steel and Mines should take the following action immediately and instruct the steel plants to implement it forthwith :—

(a) increase procurement from the non-captive mines to 1980-81 level i.e. 1.72 lakh tonnes per month.

(b) indicate the procurement programme to each individual mine owner so that they are able to plan their production programme in advance.

(c) considering the overall requiremeni of the steel plants over a period of time and considering the fluctuations in demandd and supply, a reasonable procurement quantity may be decided upon.

(d) investment for development of new iron ore mines should not be taken up in view of the capacities already available in the existing mines.

15 hrs.

(ii) Need For Payment Of Proper Compensation For Land Acquired And Need For Passing Land Acquisition Amendment Bill

SHRI UTTAM RATHOD (Hingoli): Mr. Deputy-Speaker, Sir, during the last session, the Minister of Parliamentary Affairs had withdrawn the land Acquisition (Amendment) Bill saying that it would be brought in the ensuing session with amendments beneficial to the land holders. Presently, though two weeks have passed, this Bill is not shown even on the Agenda. Cultivators throughout the country are very much worried because it is against the interest of cultivators. This Act was enacted 90 years back. The Central and State Governments are acquiring land for public purposes in thousands of acres every years. The cultivators are dispossessed of their land, but they do not get-proper compensation for it. The cultivators are agitated on this issue and as such this Bill be passed during this session.

(iii) Need For Legislation To Regulate Vides Shows.

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : देश के बड़े-बड़े शहरों से ले कर छोटे-छोटे कस्बों तक मैं आजकल गैर कानूनी वीडियों कैसेटों और वीडियों कैसेट रिकार्डरों का धंधा बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। इन स्थानों पर धड़ल्ले से ऐसी फिल्मों के वीडियों प्रदर्शन शुरू हो गए हैं जो अधिकृत रूप से रिलीज नहीं हुई हैं। यही नहीं इन फिल्मों में सेंसर नियमों का खुले आम उल्लंघन करके ऐसे दृश्यों को भी दिखाया जाता है जिन्हें सेंसर बोर्ड निर्माताओं को निकालने का आदेश दे चुका होता है। आम तौर पर वीडियों प्रदर्शक फिल्म दिखाने का उतना ही पैसा ले रहे हैं जितना कि सिनेमा वाले प्रति दर्शक लेते हैं। लेकिन वीडियों प्रदर्शकों को कोई कर नहीं देना पड़ता। अनसैंसर्ड और टैक्स फ्री प्रदर्शक का नारा दे कर ये प्रदर्शक अपना हर शो हाउस फुल चला रहे हैं। विशेष शो के नाम पर ये लोग ब्लू फिल्मों एवं विदेशी फिल्मों का भी प्रदर्शन करते हैं जिन में उनमुक्त यौन दृश्यों की भरमार होती है। अनेक होटलों ने भी डिनर के समय नियमित बीडियों फिल्म शो के विज्ञापन देने शुरू कर दिए हैं।